न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 158/2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018/00191

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. पाबुसिंह पुत्र किशोरसिंह 2. चन्दनसिंह पुत्र किशोरसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण गुडा एन्दला, तहसील रानी

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ काजी।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.12.2025

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/3 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम गुडा खुनी पटवार हल्का बालराई की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के अनुसार गत खसरा संख्या 175 कुल रकबा 39.08 किस्म गै.मु.नदी थी, जिसमें से हाल खसरा नम्बर 175/1 रकबा 0.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश क्रमांक 71–73 दिनांक 16.02.1985 के द्वारा राजस्व अभियान केम्प बालराई में उक्त भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में किया गया। वक्त आवंटन जैर आराजी कि किस्म गैर मुमकिन नदी थी। ग्राम गुडा खुनी के खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2065–2068 के अनुसार जैर आराजी किस्म गैर मुमकिन नदी थी। जैर आराजी के संबंध में आंवटन/नियमन आदेश की पालना में आवंटी किशोरसिंह पुत्र अनोपसिंह राजपुत के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 24.04.1985 भर गया। मुल आवंटी किशोरसिंह के फौत हो जाने से उनके वारिसान पाबुसिंह, चन्दनसिंह पि. किशोरसिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 388 स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार जैर आराजी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–2072 के खसरा संख्या175/1 किस्म गैर मुमकिन बेरा दर्ज है। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक 71–73 दिनांक 16.02.1985 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 24.04.1985 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 388 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम), 1970 के तहत भूमि का आवंटन/नियमन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा नियमों के अनुरूप किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जैर आराजी का रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को देखते उक्त भूमि का आवंटन, आवंटी के पक्ष में किया गया है। भूमि काबिल काश्त उपलब्ध थी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आंवटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, तालाब व नदी के प्रवाह को अवरूद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माना कि भूमि आवंटन से पूर्व गैर मूमकिन नदी, तालाब, नाला, केचमेन्ट एरिया की थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 में किया गया। वक्त सेटलमेन्ट रेकर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी दोयम इत्यादि दर्ज कर दी गई है। किस्म परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को है एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु की गयी कार्यवाही विधिसम्मत थी। आंवटियों द्वारा मौके पर हजारों रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया गया एवं मौके पर बेरा खोदकर, बिजली कनेक्शन लेकर भूमि को उपजाऊ बनाया, आवंटित व्यक्ति बेकसूर है। आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग श्रीमान के न्यायालय के अधीन नहीं है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नही किया है कि जैर आराजी पर वर्तमान में नाड़ी है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम गुडा खुनी तहसील पाली की एकीकरण जमाबन्दी सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा संख्या 175 रकबा 39.08 बीघा किस्म गै.मु.नदी अंकित है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी ग्राम गुडा खुनी, तहसील रानी की मिसल बन्दोबस्त संवत 2019 के समय खसरा संख्या 175 की किस्म गै.मु.नदी दर्ज थी।

जैर आराजी का कैम्प बालराई में आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का जरिये आदेश क्रमांक 71–73 दिनांक 16.02.85 के द्वारा भूमि का आवंटन/नियमन किशोर

अति. जिला कलेक्टर पाली

सिंह पुत्र अनोपसिंह के पक्ष में किया और उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 29.04.1985 के द्वारा आवंटी को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। साथ ही ग्राम गुडा खुनी तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2065–2069 के अनुसार खसरा संख्या 175/1 किस्म गैर मुमकिन बैरा में आवंटी बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 175/1 के पुराना खसरा संख्या 175 है तथा ग्राम गुडा खुनी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा संख्या 175 की किस्म गैर मुमकीन नदी अंकित है तथा नामान्तरकरण संख्या 129 में भी उक्त भूमि की किस्म गै.मु.नदी राजस्थान सरकार से गै.मू.बेरा आवंटी दर्ज है। जैर आराजी के खातेदार किशोरसिंह के फौत हो जाने से उनकी फौतेदगी नामान्तरकरण 388 भरा गया तथा विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 388 के अनुसार किशोरसिंह पुत्र अनोपसिंह के स्थान पर पाबुसिंह, चन्दनसिंह पि. किशोरसिह दर्ज किया गया, शेष खाता बदस्तूर रहा। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के पूर्वज के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध प्रतीत होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 175/1 के पुराना खसरा संख्या 175 है तथा ग्राम गुडा खुनी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा संख्या 175 की किस्म गैर मुमकीन नदी अंकित है तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश क्रमांक 71–73 दिनांक 16.02.1985 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 24.04.1985 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 388 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश क्रमांक 71–73 दिनांक 16.02.1985 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 24.04.1985 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 388 को अपास्त करते हुए जैर आराजी को पुनः नदी दर्ज कर एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली